रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215706
CG-DL-E-27012020-215706

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 47(अ).—कतिपय प्रारूप नियम अर्थात् पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 1 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

और उपरोक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जन साधारण के लिए 1 अगस्त, 2018 तक उपलब्ध थी ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा, पणधारियों और सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव प्राप्त कर उपरोक्त अधिसूचना की प्रतिक्रया पर सम्यक् रूप से विचार किया गया ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) सपठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-। में,

(क) क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जाएंगी ; और

(ख) क्रम सं. 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	**उद्योग**	**मानदंड**	**मानक (निपटान की सभी प्रणालियों पर लागू)**
1	2	3	4
''57	**चर्मशोधनशालाएं**	**चर्मशोधनशाला उद्योग से बहिस्राव के निस्सारण के लिए मानदंड**	
		शोधित बहिस्राव	अधिकतम अनुज्ञेय सीमा (पीएच को छोड़कर मि.ग्रा./ली. में)
		पीएच	6 से 9
		बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (27^0 से. पर बीओडी$_3$)	20
		केमिकल आक्सीजन डिमांड(सीओडी)	250
		कुल निलंबित ठोस (टीएसएस)	50
		कुल विघटित ठोस (टीडीएस)	2100**
		सल्फाईड्स (एस के रूप में)	2.0
		कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में)	2.0
		हेक्जावलेंट क्रोमियम	0.1
		तेल और चिकनाई	10
		टिप्पण : 1. *निदियों और झीलों में सीधे निपटान के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (एसपीसीबी/पीसीसी), निपटान प्रणाली की गुणवत्ता के आधार पर अधिक कड़े मानकों को निर्दिष्ट कर सकते हैं । 2. **पूर्णत: घुले हुए ठोस पदार्थ (टीडीएस) के मानक, उचित समुद्री मुहाने के माध्यम से समुद्री निपटान के मामले में लागू नहीं होंगे । 3. शोधित बहिस्राव के संबंध में टीडीएस सीमा 2100 मि.ग्रा. प्रति लीटर	

IndiaCode

		होगी ; हालांकि ऐसे मामले में जहां लिए गए जल में टीडीएस 1100 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक है, 1000 मि.ग्रा. प्रति लीटर तक की अधिकतम छूट दी जाएगी, बशर्ते कि शोधित बहिस्राव में 3100 मि.ग्रा. प्रति लीटर की अधिकतम सीमा से अधिक न हो । 4. मानक सभी प्रकार के स्वचलित चर्मशोधनशालाओं पर उनके उत्पादन के पैमाने के बावजूद समान रूप से लागू होंगे । 5. क्रोम चर्मशोधन इकाईयां, क्रोमियम सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए क्रोम मद्य के शोधन हेतु 'क्रोम रिकवरी संयंत्र' की स्थापना सुनिश्चित करेंगी । 6. चर्मशोधनशाला, मद्य पृथक्करण को सोखने के माध्यम से नमक की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा । 7. शोधित बहिस्राव को ताला जल के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया/सिंचाई में पुन: उपयोग के लिए केवल व्यवहार्य विकल्पों के बाद ही परिवेशी पर्यावरण में निस्सारण होने की अनुमति दी जाएगी । 8. स्वचलित इकाईयां निर्धारित निस्सारण मानदंडों को पूरा करेंगी ; तथापि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति जल की कमी वाले/पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोधित जल के पुन:चक्रण/पुन: उपयोग को अनिवार्य करेंगी । 9. भूमि पर सिंचाई के लिए शोधित बहिस्राव के निस्सारण के मामले में चर्मशोधनशाला इकाई द्वारा वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और बाद में) भूमि और भूजल की गुणवत्ता पर प्रभाव की निगरानी की जाएगी । 10. गाद और अन्य अपशिष्टों का प्रबंधन, निगरानी और निपटान, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 11. इकाईयां "अपशिष्ट के संसाधन और शोधन प्रक्रिया के पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम प्रबंधन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों" पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी ।	
		चर्म/खालों के प्रसंस्करण के लिए जल खपत की अधिकतम विनिर्दिष्ट मात्रा (मासिक औसत मूल्य)	
		कच्चे से नम नीला/श्वेत	कच्चे चर्म/खालों का 20 मी^{3} प्रति टन
		चर्मशोधन के बाद की प्रक्रिया	कच्चे चर्म/खालों का 20 मी^{3} प्रति टन
		कुल खपत	कच्चे चर्म/खालों का 35 मी^{3} प्रति टन
		अधिकतम अपशिष्ट जल निस्सारण = अधिकतम जल खपत का 85%	
		नम-नीला/श्वेत और चर्म में तैयार चमड़े की पुन: गणना करने के कारक : **जूते का ऊपरी चमड़ा :**	

		कच्चे चर्म/खालों का 15 टन = नम-नीले का 7.84 टन = तैयार चमड़े का 2.94 टन **गृह साज-सामग्री के प्रयोग में आने वाला चमड़ा :** कच्चे चर्म/खालों का 15 टन = नम-नीले का 5.08 टन = तैयार चमड़े का 1.48 टन ।"।

[फा. सं. क्यू-15017/44/2007-सीपीडब्ल्यू]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. संख्यांक 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 952(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2020

G.S.R. 47(E).—Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 730(E), dated the 1st August, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 1st August, 2018;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l,

(a) the serial number 16 and the entries relating thereto shall be omitted; and

(b) for serial number 57 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards (applicable for all modes of disposal*)
1	2	3	4
"57	**Tanneries**	**Standards for Discharge of Effluent from Tannery Industry**	
		Treated Effluent	**Max. permissible values** (in mg/l, except for pH)
		pH	6 to 9
		Biochemical Oxygen Demand (BOD_3 at 27 ^oC)	20
		Chemical Oxygen Demand (COD)	250
		Total Suspended Solids (TSS)	50
		Total Dissolved Solids (TDS)	2100**

		Sulphides (as S)	2.0
		Total Chromium (as Cr)	2.0
		Hexavalent Chromium (as Cr^{+6})	0.1
		Oils and Grease	10
		Notes: 1. *In case of direct disposal into rivers and lakes, the Central Pollution Control Board (CPCB) or State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees (SPCBs / PCCs) may specify more stringent standards depending upon the quality of the recipient system. 2. **Standards for TDS shall not be applicable in case of marine disposal through proper marine outfall. 3. **TDS limit with respect to treated effluent shall be 2100 mg/l; however, in case where TDS in intake water is above 1100 mg/l, a maximum contribution up to 1000 mg/l shall be permitted provided the maximum limit of 3100 mg/l is not exceeded in the treated effluent. 4. Standards are equally applicable to all types of stand-alone tanneries irrespective of their scale of production. 5. Chrome tanning units shall ensure installation of 'Chrome Recovery Plant' for treatment of spent chrome liquor so as to recover chromium sulphate. 6. The tannery shall ensure salt recovery through soak liquor segregation. 7. The treated effluent shall be allowed to be discharged in the ambient environment only after exhausting options for reuse in industrial process / irrigation in order to minimize freshwater usage. 8. The standalone units shall meet prescribed discharge norms; however, SPCB / PCC shall mandate recycle / reuse of the treated water in water scarce / environmentally sensitive / critical areas. 9. In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and groundwater quality shall be monitored twice a year (pre- and post- monsoon) by the tannery unit. 10. Management, handling and disposal of Sludge and other wastes shall be undertaken as per the provisions made in the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016. 11. The units shall follow the guidelines prescribed by CPCB and SPCB / PCC on "Best Available Technologies for Environmentally Sound Management of the Process and Treatment of Wastes".	
		Maximum specific water consumption for processing hides/ skins: (monthly average values)	
		Raw-to-Wet blue/white	20 m^3 per ton of hides /skins
		Post-tanning process	20 m^3 per ton of hides /skins
		Raw-to-finished	40 m^3 per ton of hides /skins
		Maximum wastewater discharge= 85% of maximum water consumption.	
		Factors to re-calculate Finished leather into Wet blue/white and Hide: **Shoe upper leather:** 15 ton of Raw hides /skins = 7.84 ton of Wet blue = 2.94 ton of finished leather **Upholstery leather:** 15 ton of Raw hides/skins = 5.08 ton of Wet blue = 1.48 ton of finished leather.".	

[F. No. Q-15017/44/2007-CPW]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 952(E), dated the 26th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.27 00:34:05 +05'30'